संख्या–5068 / 9–आ–1–भूखण्ड (आ.ब.) / 2001

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. अध्यक्ष,
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

आवास अनुभाग–1

लखनऊः दिनाँक–14 फरवरी, 2001

विषयः लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासनादेश–संख्या 6795 / 11–5–80–नि0 / 86 दिनांक 23.10.1986 में किए गए प्राविधानों के अनुसार विकास प्राधिकरणों तथा आवास परिषद द्वारा लीज पर आवंटित भूखण्डों पर भवन निर्माण हेतु निम्न व्यवस्था निर्धारित की गई हैं :–

1. रजिस्ट्रेशन की तिथि से 5 वर्ष का समय भवन निर्माण करने के लिए अनुमन्य होगा।
2. 5 वर्ष का अतिरिक्त समय भूखण्ड के मूल्य पर 2 प्रतिशत की दर से सरचार्ज लेकर बढ़ाया जा सकता है।
3. भूखण्ड का मूल्य तत्समय प्रचलित बाजार दर पर निर्धारित किया जायेगा।
4. 10 वर्ष तक कोई निर्माण न किये जाने की दशा में भूखण्ड की लीज निरस्त कर दी जाएगी।

उक्त शासनादेश में निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है :–

(i) छोटे एकल आवासीय भूखण्ड पर एक कमरा, रसोई घर, बाथरूम तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

(ii) बड़े एकल आवासीय भूखण्ड पर यदि दो कमरे, रसोई घर, बाथरूम तथा शौचालय, यदि निर्मित कर दिया गया हो तो उसे पूर्ण निर्माण माना जायेगा।

उक्त शासनादेश में बड़े भूखण्ड, जिन्हें ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत तथा व्यवसायिक निर्माण हेतु लीज पर दिया गया हो, के सम्बन्ध में निर्माण को परिभाषित नहीं किया गया हैं अतः इस श्रेणी के भूखण्डों के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्माण को निम्नानुसार परिभाषित किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

भवन की श्रेणी किये गये निर्माण की स्थिति

1. ग्रुप हाउसिंग अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत

2. संस्थागत अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत

3. व्यवसायिक अनुमन्य तल क्षेत्र का 25 प्रतिशत

यदि उक्त सीमा तक निर्माण कर लिया जाता है तो सम्बन्धित भूखण्ड को अधिनियम की धारा–18 की उपधारा–4 के प्राविधान से छूट दी जायेगी।

भवदीय,
अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संख्या 5068(1)/9–आ–1–भूखण्ड 2001/(आ.ब.) तद्‌दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. आवास विभाग के समस्त अनुभागों को।
2. अपर निदेशक नियोजन, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

संजय भूसरेड्डी
विशेष सचिव